IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, April 2026
Impact Factor: 8.2

राजनैतिक चुनावों में मीडिया की सहभागिता एवं उपयोगिता

डॉ. पवन कुमार सेन
राजनीति विज्ञान
Pawansen8899@gmail.com

सारांश – भारत के लोकतंत्र का ह्रदय संघीय संसद को ही लोकसभा को कहा जाता है, इसी सदस्य संख्या आवश्यकता एवं प्ररूप के आधार पर परिवर्तित होती रही है, वर्तमान अध्यय और राष्ट्रपति द्वारा भारतीय समुदाय के दो मनोनीति सदस्यों की संख्या को मिलाकर वर्तमान में 543 सदस्य हैं, हॉलाकी समय–समय पर सदस्य कम ज्यादा होते रहते है पर कुल 552 से अधिक नही हो सकते–इसमें से 530 राज्यों और 20 सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते है, संविधान संशोधन अधिनियम 849 सी एवं 1971 की जनगणना को आधार बनाकर इस प्रकिया (प्रणाली) को वर्ष 2006 तक के लिए निश्चित की गई थी, यदि लोकसभा को भंग न किया जाय तो इसका कार्यकाल पॉच वर्ष तक का होता हे, पर आकाल एवं युद्ध की स्थिति में इसकी समयावधि कानूनी प्रकिया कियान्वित कर बढ़ायी जा सकती है, संवैधानिक परिपेक्ष्य में लोक सभा के सदस्य के लिए निम्नलिखित प्रारूप में योग्यताएँ आवश्यक है– प्रथम संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। द्वितीय आयु–सीमा हेतु प्रावधान 25 वर्ष या उससे अधिक हो। तृतीय राज्य एवं केन्द्र सरकार के किसी भी निकाय में व्यक्ति कोई लाभप्रद पर ग्रहण न किये हो। चतुर्थ विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति न हो। पंचम किसी न्यायालय के माध्यम से उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो। उपर्युक्त आवश्यकताओं के साथ ही सांसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित कर संसद सदस्यों हेतु कुछ योग्यताओं का चयन इस प्रकार किया है– अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थानों के प्रत्याशियों हेतु आवश्यक है कि संबंधित जाति के सदस्य हो। जनजाति सदस्य हेतु भी यही प्रावधान निश्चित है।

मुख्य शब्द– लोकसभा, अधिनियम ,चुनाव, प्रतिनिधि, संसद, मतदाता, अधिकार,

उद्देश्य– प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में राजनैतिक चुनाव में मीडिया की सहभागिता को ज्ञात करना है।

परिकल्पना – शोध क्षेत्र रीवा संभाग में 2014 के आम चुनाव में राजनैतिक क्षेत्र में मीडिया की उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण रही है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध प्रबंध में मुख्य रूप से प्रथम आकड़ों का प्रयोग किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर द्वितीयक आकड़ों किया गया है।

प्रस्तावना –

लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, पर प्रधानमंत्री के चाहे जाने पर राष्ट्रपति के विचार–विमर्श द्वारा लोकसभा को समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा निम्नलिखित वर्षो में किया गया है। 1970,1977, 1979 नम्बबर 1984 मार्च 1991, दिसम्बर 1997 अप्रैल 1999, यदि संकट काल की घोषणा की जाती है। तो संसद विधि मान्य स्वरूप में लोकसभा के कार्यालय में वृद्धि

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

कर सकती है। इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है। लोकसभा अधिवेशनों को राष्ट्रपति द्वारा ही प्रस्तावित और स्थगित किया जाता है। लोकसभा कि किसी बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की पहली तिथि में 6 महीनें से अधिक का अंतर नही होता है। लोकसभा व राज्यसभा दोंनो ही के लिए कोरम कुल संख्या का दसवां भाग होता है।

सदस्यों के विशेष्ाधिकार –संसद सदस्यों को अपने कार्यो का उचित समन्वय करना होता है अतः प्रावधान हेतु उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये गये

- संसदीय नियमों एवं ओदशों का पालन करते हुए संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता।
- संसद एवं उसकी किसी भी समिति में कही कई बात या दिए गए किसी भी मत के संदर्भ में संसद के किसी भी सदस्य के विरूद्ध किसी भी प्रकार के न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है।
- संसदीय अधिकवेशन के चालू होने के 40 दिन पहले और बाद में संसद के किसी भी सदस्य को बंदी नही बनाया जाता है। हॉ यदि मामला फौजदारी विषयों में संदर्भित हो तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है कार्यवाही किसी भी प्रकार की होने की दशा में संसद के अध्यक्ष को यथाशीघ्र इस क्रम में सूचित किया जाना अनिवार्य है।
- सदन –क्षेत्र में किसी भी सदस्य (सांसद) की गिरफ्तारी बिना अध्यक्ष की अनुमति के संभव नही है।
- संसद के चाहे जाने पर विधिमान्य रूप से संसदीय सदस्यों को विशिष्ट अधिकार या उन्मुक्तियॉ प्रदान की जा सकती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को यह अधिकार है कि वह दो करोड़ रूपयों तक के विकास कार्यो के संबंध में सुझाव दे। लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में तथा राज्यसभा सदस्य अपने राज्य के चुने हुए क्षेत्रों में विकास योजनाओं को चुन सकते है अथवा सुझाव भी दे सकते है। किसी भी परियोजना का कुल व्यय 10 लाख रूपये से अधिक का नहीं होगा और एक वर्ष में अधिकतम् दस करोड़ रूपये तक ही परियोजनाएँ सुझाई जा सकती है। इन सुझावों पर कियान्वयन सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाता है।

लोकसभा की शक्तियॉ

1 विधायी शक्ति– संवैधानिक प्रकिया के अनुरूप भारतीय संसद निम्नलिखित विषयों पर कानून–निर्माण कर सकती है–

- संघीय सूची
- समवर्ती सूची
- अवशेष विषय
- राज्य सूची के विषय (विशिष्ट परिस्थितियों में)

2 वित्तीय शक्ति – संवैधानिक अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लाकेसभा मे ही प्रस्तावित किए जा सकते है। हॉलाकि लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा हेतु यह प्रावधान निश्चित है कि वह वित्त विधेयक की प्राप्ति से 14दिवस के अन्तर्गत विधेयक मे संशोधन की सिफारिश सहित उसे लोकसभा कों लौटा दे। राज्यसभा के दिए गए सुझावों को मानना या इनकार करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

3 कार्यपालिका पर नियंत्रण शक्ति– संविधान के अन्तर्गत संसदात्मक व्यवस्था को आधार दिया गया है।संवैधानिक स्वरूप में मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के विश्वास की कसौटी ही मंत्रिमंडल की भूमिका निर्भर करती है ।संसद विविध प्रविधियों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है।

संसद सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सरकार द्वारा किए गए कार्यो मे क्रम में प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते जाते है। सरकारी– नीतियों की गलती को संसद मे उन प्रक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित किये जाने का अधिकार है।

1 बजट अस्वीकृति करके।

2 मंत्रियों के वेतन से कटौती प्रस्ताव स्वीकृति करके ।

3 सरकारी विधेयक मे सरकार विरोधी संशोधन करके।

4 काम रोको प्रस्ताव द्वारा।

4 संविधान संशोधन संबंधी शक्ति– संवैधानिक अनुच्छेद (368) के अनुसार संविधान मे संशोंधन का कार्य संसद द्वारा ही किया जाता हैं।

5.निर्वाचन मंडल के रूप मे कार्य – संवैधानिक (54) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा विधनसभा तथा संघीय विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते है। संवैधानिक अनुच्छेद (66) के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा सम्मिलित रूप से उपराष्ट्रपति का चयन करती हैं। लोकसभा के माध्यम से सदन के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष को निर्वाचित एवं पदच्युत भी किया जा सकता है ।

6 लोंक शिकयतों का निवारण' लोकसभा सदस्य चूँकि प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचन होते है अतः उनके माध्यम से आम जनता अपनी शिकायतं विचार व भावनाओं को सरकार तक पहुँचाती हैं

विधिक कार्य – उपयुक्ति कार्यो के अतिरिक्त कार्य इस प्रकार है–

- लोकसभा राज्यसभा के साथ संयोजित होकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है।
- उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव यदि राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाए तो उसका अनुमोदन लोकसभा द्वारा आवश्यक होता है
- लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित रूपों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरूद्ध सहाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा संकटकाल की घोषणा एक माह के अंदर संसद द्वारा पारित करना आवश्यक है । अन्यथा एक माह बाद यह प्रभावी नहीं होगी।
- किसी प्रकरण मे राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना ता उसकी पुष्टि संसद मे माध्यम से आवश्यक है।

विश्लेषाण –

भारत में सोलहवीं लोकसभा का चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई 2014 के बीच कुल 9 चरणों में संपादित किया गया था, जिसकी मतगणना 16 मई को करायी गयी, पूर्व की 15 वीं लोकसभा का कार्यकाल 31 मई 2014 को समाप्त होना था, देश में पहलीवार इतने बड़े समय तक 9 चरणों में चुनाव, चुनाव आयोग द्वारा कराया गया था उसका मुख्य कारण निष्पक्षता से चुनाव करना मूल उदेश्य था। जिसमें चुनाव आयोग सफल भी रहा। कुल 834 मिलियन मतदाओं ने इसमें अपने मतदान किया है,

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

आम चुनाव 2014 में मतदाताओं की स्थिति

आम चुनाव 2014			शोध क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2014	
क्र	आयु वर्ष	प्रतिशत	आयु वर्ष	प्रतिशत
1	18-19	2.70	18-19	1.2%
2	20-50	72.0	20-50	8.1 %
3	51 –उपर	25.0	51 –उपर	17.8%
4		100		100%

स्त्रोत–चुनाव आयोग प्रतिवेदन शोध सर्वेक्षण के आधार पर

तालिका से ज्ञात होता है कि 2014 के आम चुनाव में 18–19 वर्ष के नये मतदाता शामिल हुई। जिन्होंने 2.7 प्रतिशत शामिल हुई जिन्होंने 2.7 प्रतिशत मत देने में योगदान दिया है जबकि 20–50 वर्ष के मतदाताओं ने सर्वाधिक मत 72 प्रतिशत मतदान किया है। तथा 51 –उपर 25.3प्रतिशत मतदान किया गया है। शोध के दौरान द्वितीयक आकड़ों से ज्ञात हुआ है कि कुल नये मतदाताओं में से 39 प्रतिशत पहली बार मतदान करने वाले भाजपा को वोटे दिया मात्र 19 प्रतिशत ने कांग्रेस एवं अन्य को वोट दिया इस चुनाव में कुल 8251 उम्मीदवारों ने 543 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है, सभी 9 चरणों को मिला दिया जाये तो औसतन् 66.40 प्रतिशत मतदान हुआ चुनावी वर्ष में हुआ।

शोध क्षेत्र विन्ध्य प्रदेश में भी इस चुनाव में नये मतदाताओं के उपर चुनावी पार्टियों का विशेष फोकस था 2014 के मतदान में कुल मतदान में 1.2 प्रतिशत मतदाता 18–19 वर्ष के थे। जबकि 81. प्रतिशत मतदाता 20–50 वर्ष के रह है। तथा 51 वर्ष एवं इसके उपर के मतदाओं ने 17.8 प्रतिशत मतदान में अपना योगदान प्राप्त किया है। कुल क्षेत्र में 82.00 प्रतिशत हुआ है। लोकसभा में बहुमत के लिए कुल 543 में से 272 सीटों की आवश्यकता थी कुल मतदान में भाजपा ने 31 प्रतिशत वोट प्राप्त किया जबकि 19.31 प्रतिशत वोट कांग्रेस ने प्राप्त किया वाकि 16.09 प्रतिशत मतदान सभी पार्टियों को प्राप्त हुए, 1984 के बाद पहली वार कोई पार्टी 282 सीटो पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना पायी है। जबकि चुनाव के पहले कन्हैया (कांग्रेस) जी द्वारा कहा जा रहा था कि मोदी जी के खिलाप लोगो द्वारा 69 प्रतिशत वोट बढ़ने की सम्भवना है, जो चुनाव वाद गलत सावित हो गया अन्तिम परिणाम के रूप में कांग्रेस –44 एवं भाजपा 282 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है, तथा गठवन्धन ने 59 सीटो पर जीत हासिल की। एक आधिकारिक विपक्षी दल के पास कम से कम 55 सीटे होनी चाहिए,पर चुनाव में आधिकारिक रूप से कोई विपक्षी दल नही है।

2014 चुनाव में एक उम्मीदवार के 7 मिलियन एवं छोटे राज्यों में 5.4 मिलियन मार्व करने के अनुमति दी गई, जिसका आधार लागत मुद्रा स्फीति को बना कर किया गया, जिसका परिणाम चुनाव में प्रदर्शित होता है। कोई भी चुनाव समस्याओं और विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर ही लड़ा जाता है, इन समस्याओं को जनता के सामने उठाने वाला प्रथम प्रयास मीडिया ही करती है, 2014 के चुनाव में जी–न्यूज एक सर्वेक्षण कराया जिसमें मुद्रा स्फीति एवं महगाई मुख्य मुद्दा था, जिसमें नौकरियों की कमी, आर्थिक मंदी, भ्रष्टाचार, सुरक्षा आंतकवाद, धार्मिक विवाद, सांप्रायिकता और सड़क, बिजली; पानी , इत्यादि समस्या रही है। वाशिगंटन की न्यूज एजेंन्सी ने अपने शोध के दौरान भारत में चुनाव के मुद्दो और समस्याओं के संबंध में गहन –अध्ययन किया और पाया कि यहाँ की जनता का परिवर्तन चाहती है, इस मनोवृत्ति को देखते हुए ही विभिन्न राजनैतिक पार्टियों ने भी अपना आजमाइस की आप जैसी नयी पार्टि भी उभरकर सामने आ गई।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

द ग्रेट इंडियन इलेक्शनः इट्स अवाउट जॉब्स– नामक न्यूज व्लांग में भी सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि यहा के नव युवक जनता जो 18 –19 वर्ष की है जिसने 2.7 प्रतिशत योगदान मतदान ने किया और अपने प्रतिशत का 39 प्रतिशत भाजपा को वोट दिया की समस्या जॉब्स की ही थी, जिसको मीडिया ने जनता के सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था, इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की उस समय तत्काल परिस्थितियों को मीडिया ने जनता तक प्रचारित किया जैसे व्याज का दाम बढना नमक का दाम घोटालो को सामने आना जैसे कोयला घोटाला, ऊर्जा स्पेक्ट्रम मामला, हेलिकॉप्टर घोटला, धार्मिक मुद्दे आदि को मीडिया ने जनता के सामने प्रसारित किया जो सत्ता परिवर्तन के कारक बने

एन.डी.टी.वी. ने चुनाव बाद जनता तक सपूर्ण पार्टियों के अंतिम परिणाम को प्रसारित किया है

2014 चुनाव परिणाम **(NDTV /NDA)**

क्रमांक	दल	चुनाव लड़ने की सीट संख्या	जीत एवं रिक्त सीटो की संख्या
1	भारतीय जनता पार्टी	2427	282
2	तेलगू देशम पार्टी	30	16
3	शिवसेना	20	18
4	देसिया मुश्पोक्कू द्रविड़	10	4
5	पट्टाली मक्कम कार्चा	8	1
6	मममकाली द्रविड़	7	0
7	लोक जनशक्ति पार्टी	3	3
8	अपना दल	2	2
9	हरियाण जनहित कांग्रेस	2	0
10	स्वाभिमानी पक्ष	2	1
11	इंदिरा जननायगा	1	0
12	पुठिया निधि काची	1	0
13	कोगुनाड्ड मक्कन देसिया	1	0
14	भारतीय एन आर कांग्रेस	1	0
15	रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया	1	0
16	राष्ट्रीय समाज पक्ष	1	0
17	.सोसालिस्ट पार्टी	1	0
18	केरल कांग्रेस (राष्टवादी)	1	0
19	नेशनल पीपुल्स पार्टी	1	0

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

20	नागा पीपुल्स फ्रंट	1	1
21	मिजोरम नेशनल फ्रटे	1	1
	कुल	543	336

स्रोत –**NDTV** एवं राष्ट्रीय जनतार्तिक गठबंधन का प्रतिवेदन –2014

स्पष्ट है कि मीडिया ने जो आकड़े जनता के सामने पारदर्शी तरिके से रखती है, मीडिया की उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। इन द्वोर्रा–द्वोर्रा पाटियों को मिलाकर भाजपा ने राष्ट्रीय जनतात्रिक गठवन्धन वनाया था जिसने कुल 61.87 प्रतिशत सीटो पर चुनाव जीत कर सावित कर दिया कि जनता की मीडिया द्वारा उठाई गई सामस्या इनती बड़ी जित हासिल करने में सहयोगी हुई है। वही पर कांग्रेस की संयुक्त प्रगतिशील गठवंधन ने कुल 538 सीटों पर चुनाव लड़कर 59 मत 10.86 प्रतिशत सीटों पर ही विजय पा सकती है।

लोक सभा चुनाव 2014 में मीडिया की उपयोगिता–

लोकसभा चुनाव में मीडिया ने पुरे वर्ष में चुनाव को केन्द्रित करके अपने न्यूज चैनल संचालित किया, टकोमेन्टी डाक्यूमेन्ट्री फिल्म (कार्टून) लांच की और विज्ञापन भी किया। शोधार्थी के शोध की सीमा रीवा जिला के लोक सभा सीटों के संबंध में मीडिया की उपयोगिता को सिद्ध करना है। प्रस्तुत सारणी में मीडिया का चुनाव में सहयोग की स्थिति संचालित कार्यक्रमों के घण्टों के आधार पर प्रस्तुत है–

लोकसभा चुनाव 2014 में मीडिया का प्रसारण

क्र.	राष्ट्रीय स्तर पर 2014 के चुनावी मुद्दों का प्रसारण (समय–घण्टों के आधार पर)				शोध क्षेत्र स्तर पर 2014 के चुनावी मुद्दों पर प्रसारण (समय–घण्टों के आधार पर)		
	चेनल का नाम	प्रसारण औसत् प्रत्येक दिन (घण्टे)	प्रसारण औसत् दिवस	चुनावी वर्ष में प्रसारण के कुल घण्टे	प्रसारण औसत् प्रत्येक दिन (घण्टे)	प्रसारण औसत् दिवस	चुनावी वर्ष में प्रसारण के कुल घण्टे
1	आज तक	6	120	720	18	38	11.4
2	ए.वी.पी.	3	100	300	26	40	17.3
3	NDTV	2	85	170	30	20	10.0
4	सीटी चैनल रीवा	2	20	40	6	90	540
5	विध्य न्यूज रीवा	1	10	100	5	112	560
6	तेज खबर	2	30	60	6	118	708

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

	24 रीवा						
7	रीवा समाचार	1	10	10	5	100	500

स्रोत –न्यूज प्रसारण केन्द्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर –

लोकसभा चुनाव 2014 में मीडिया ने अपना अहम रोल अदा किया था जनता तक उन मुद्दों को तेजी से पहुचाया जो जनता चाहती थी। धार्मिक मुद्दों को प्रथम प्रोत्साहन के कारण राम मंदिर निर्माण का कोर्ट का फैसला, रक्षा समस्या एवं एक मात्र रक्षक के रूप में प्रदर्शन रफेल घोटाला सुरक्षा का मामला हिन्दुत्व का मामला एवंज न सामान्य के रोड़, बिजली घर, पानी, नौकरी, सारे मुद्दों को चुनावी रंग दिया। जिसकों देश की जनता ने समझा, इन चुनाव में जातिगत वोटो का समीकरण नही चला सभी ने विकास एवं धर्म को एवं देश की सुरक्षा को प्रथम मान वोट डाले और भारत पहलीबार जातिगत वोटो के वंधन से मुक्त होकर बहुमत सरकार बनायी। विभिन्न न्यूज चैनलों ने चुनावी मुद्दों को अपनी चैनल में जगह दी जिसका विवरण उपर तालिका में स्पष्ट किया गया है।

आज तक –

आज तक भारत का अग्रणी हिन्दी न्यूज चैनल है, जिसकी स्थापना ग्रगोरी कैलण्डर के आधार पर 1995 को की गयी थी, इसके द्वारा टेलीविजन प्रसारण और ऑनलाइन सूचनाओं का प्रेषित किया जाता है, उसका स्वामित्व इण्डिया टुडे ग्रुप नेटवर्क के पास है इसके द्वारा इंण्डिया टुडे पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है, पर आज –तक एक स्वतन्त्र समाचार चैनल के रूप में 1999 से अब यह 52 लाख घरों में देखा जा रहा था, आज यह भारत के 3 करोड़ घरों में देखा जाने वाला सर्वाधिक प्रमुख चैनल बन गया है, न्यूज की दुनिया का 55 प्रतिशत दर्शन इनके पास है। पूरे भारत में 2014 के चुनाव में औसतन 6 घण्टे प्रतिदिन चुनाव से संबंधित समस्या, समूह चर्चा, नुक्कड़ चर्चा, एवं संवाद को प्रसारित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शोध क्षेत्र विध्य क्षेत्र में भी औसतन प्रत्येक दिवस 18 मिनट की खबर संचालित किया है।

एवीपी (स्टार न्यूज)

हिन्दी भाषा में संचालित होने वाला एवीपी न्यूज पहले स्टार– न्यूज की 1998 में स्थापना हुई थी 2012 में इसका अधिग्रहण एवीपी ग्रुप ने कर लिया था इसको 2022 में 21 वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ हिन्दी समाचार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, इस चैनल ने लोकसभा 2014 के चुनाव साल में औसतन 4 घण्टे प्रतिदिन अर्जित औसत।

NSE – भारत का हिन्दी समाचार चैनल है, जिसकी शुरूआत 2003 में की गई यह इसने फ्री चैनल DD चैनल 45 पर 24 घण्टे न्यूज देने का निर्णय भी लिया है, यह पहले स्टार–न्यूज को खबर भी उपलब्ध कराता रहा है, अब इंग्लिश और हिन्दी दोनो में 24+7 चैनल के रूप में संचालित है। इसने लोकसभा चुनाव 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 170 घण्टे का प्रसारण किया था जबकि शोध क्षेत्र रीवा के 6 खबरों को कुल 10 घण्टे तक प्रसारित किया है।

सीटी चैनल रीवा ने राष्ट्रीय स्तर के चुनावी जानकारी को 40 घण्टों तक प्रसारित किया है, जबकि शोध की समस्या एवं चुनावी मुद्दों को 540 घण्टों का कुल प्रसारण वर्तमान में किया था।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

विन्ध्य न्यूज रीवा ने राष्ट्रीय स्तर पर 10 घण्टे एवं शोध क्षेत्र स्तर पर 560 घण्टे का कुल प्रसारण लोकहित चुनाव, एवं समस्या के संबंध में प्रसारण किया, इतना अधिक समय का प्रसारण का प्रमुख कारण लोकल चैनल का प्रभाव लोंगों पर ज्यादा होता है, और इन चैनलों को दर्शन देखते भी है। प्रसारण का प्रभाव उपभोक्ताओं की सोच, समझ एवं प्रत्याशियों के चुनाव में अधिक प्रभाव रहा है।

तेज खबर 24 रीवा –जो पहले छोटे चैनल होता है, वर्तमान में ज्यादातर खबरे यूटूब एवं नेटवर्किंग मीडिया के आधार पर लोगों तक अपने न्यूज को प्रसारित किया, व्यक्तिगत रूप से भेजे गये खबरों को लोकल मतदाताओं ने अधिक महत्व दिया, यहॉ के प्रत्याशियों एवं विकास की संभावनाओं को प्रस्तुत कर सका है। जिनने 708 घण्टे का प्रसारण किया है।

रीवा समाचार 24 घण्टे संचालित होने वाला लोकल समाचार चैनल हैं जिसमें क्षेत्र की समस्याओं, उसके ससस्या निवारण के प्रयास एवं उसकी उपयोगिता को दर्शता रहता है, लोगों के छोटी–छोटी सामूहिक समस्याओं को भी दर्शाता रहता है। जिसने कुल 500 घण्टे का प्रसारण शोध क्षेत्र के चुनावी मुद्दों पर लोगों के बीच मतदान का सही .....चुनने में सहयोग किया है।

प्रिन्ट मीडिया की लोकसभा चुनाव में सहभागिताः–

पत्रकारिता जगत की शुरूआत प्रिट मीडिया से ही हुई आज भी शोध क्षेत्र में न्यूज पेपर समचार,खबरों को जानने का प्रचलित माध्यम बन हुआ है। विभिन्न न्यूज पपेर कार्यालय से शोध अध्ययन से प्राप्त समंको के आधार पर प्रिन्ट मीडिया का 2014 लोकसभा चुनाव में भागीदारी को स्पष्ट कर सकते है, जो सारणी में प्रदर्शित है।

न्यूज पेपर में चुनावी स्टोरी का प्रिन्ट संख्या 2014					
क्र.	पेपर का नाम	स्टोरी की संख्या अचानक	संख्यिकीय संख्या प्रिप्लान	कुल वार्षिक दिवस	365 वर्ष के विवरण
1	दैनिक जागरण	380	420	800	365
2	दैनिक भास्कर	402	720	1122	चुनावी वर्ष 365
3	स्टार समाचार	302	608	910	365
4	पत्रिका समाचार	520	530	1050	365
5	नव–भारत	320	640	960	365
		1920	2918	4842	

स्रोत–न्यूज एजेन्सीयों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर,

शोध क्षेत्र में प्रमुख्यतः दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, स्टार समाचार, पत्रिका समाचार नव–भारत न्यूज पेपर प्रमुखता से प्रकाशित होते है, इसके अलावा कई पत्र–पत्रिका न्यूज पेपर संचालित होते है। जिनमें चुनाव से संबंधित प्रयोजित या घटना क्रम की कई सारी स्टोरी प्रकाशित होती रहती है पर कोई अधिकारिक समंक नही प्राप्त होने से उनकी व्याख्या करना कठिन होना, पर दैनिक जागरण न्यूज पेपर में 2014 के लोकसभा चुनाव से संबंधित 380 घटनाक्रम एवं 420 प्रिप्लान स्टोर के रूप में प्रकाशित किया गया था, कुल वर्ष के 365 दिनों में औसतन दोंनों प्रकार की स्टोरी को मिलाकर 800 चुनावी स्टोरी का प्रकाशन

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

किया गया, जिससे जनता के बीच में मतदान एवं अपने प्रत्याशी को चुनने में सहयोग प्रदान होता है। जब तक तथ्यों को जनता जानेगी नही सही नेत्रत्वकर्ता का चयन कठिन होता है। दैनिक जागरण न्यूज पेपर ने इसमें अहम सहयोग प्रदान किया है।

दैनिक भास्कर शोध क्षेत्र का महत्वर्ण प्रिन्ट प्रकाशन है, जिसमें वर्ष 2014 के चुनाव से संबंधी 402 घटना क्रम एवं 720 प्रिप्लान चुनावी मसलों को प्रिन्ट किया गया कुल 1122 स्टोरी को प्रकाशित कर वर्ष 2014 के चुनाव में प्रथम पायदान पर रहा है। न्यूज प्रकाशन ने लोगों के बीच प्रत्याशियों की हर जानकारी उपलब्ध करा कर मतदान में सहयोग प्रदान किया हे।

स्टार समचार ने 302 घटना क्रम एवं 608 प्रिप्लान स्टोरी के साथ 910 चुनावी वर्ष 2014 की स्टोरी का प्रकाशन किया था।

पत्रिका न्यूज ने भी 520 घटना क्रम एवं 530 प्रिप्लान चुनावी स्टोरी का प्रकाशन करते हुए कुल 1050 स्टोरी का प्रकाशन पूरे चुनावी वर्ष में किया है।

नव भारत न्यूज पेपर में 320 घटनाक्रम को कभर कतरे हुए 640 प्रिप्लान नियोजि घटना क्रम के स्टोरी का प्रकाशन किया है।

शोध से ज्ञात होता है कि लोकसभा चुनाव –2014 में जनता के बीच समस्याओं को रखने, प्रत्येक प्रत्याशियों के वक्तव्यों एवं विचारों को जनता के सामने रखने एवं विकास की हर विन्दु को जनता एवं सरकार तक पहुचाने में मीडिया ने अपनी अहम सहभागिता निभाई है।

विधान सभा चुनाव –

विधान सभा विधानमण्डल की प्रथम लोकप्रिय सदन प्रणाली है,जिस राज्य में विधानमंण्डल के दो सदन होते है। वहॉ पर इसको अधिक शक्तियॉ प्राप्त होती। मध्य प्रदेश में विधान सभा का एक ही सदन हैं, सविधान अनुच्छेद 170के आधार पर इनमें मात्र अधिकतम् एवं न्यूनतम् संख्या का ही निर्धारण किया गया है। इसमें अधिकतम् संख्या 500 एवं न्यूनतम् संख्या 60 हो सकती है, चुनाव के लिए भौगौलिक एवं जननाकिकी आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र न्यूनतम 75 हजार लोगों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। प्रत्येक जनगणना के बाद विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण पुनः करने हेतु अनुच्छेद 370 (3) निर्देशित किया गया है। इसका मूल कारण क्षेत्र एवं जनसंख्या प्रतिनिधित्व को नियमों में बनाये रखने के लिए किया जाता है, सवैधानिक संशोधन 42 के आधार पर 2020 तक विधानसभाओं की सदस्य संख्या निश्चित कर दी गयी थी, वर्तमान में अभी कोई नही व्यवस्था नही बनायी गयी है।

1. स्थान आरक्षण– राज्यों की विधानसभाओं मे अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यव्स्था 79 वे संवैधानिक संशोधन (अक्टूबर 1999) के अनुसार 26 जनवरी 2010ई तक के लिए है। अब 1039वे संविधान संशोधन इसे 2010 से 10 वर्ष के लिए और विस्तारित कर दिया गया है राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधनसभा में आंग्ल भरतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नही मिला है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधनसभा में मनोनीत कर सकता हैं।
2. निर्वाचन पद्धति– आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य कों छोडकर विधानसभा के अन्य सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण वहुमतकी पद्धति अपनायी गयी है प्रारम्भ मे विधानसभा के निर्वाचन के लिए कुछ द्वि–'सदस्यीय निर्वाचन क्षेंत्रों की व्यवस्था थी परन्तु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल–सदस्यीय है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

3. मतदाताओं की योग्यताएँ– मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए कि उसे पागल दिवालिया या अन्य किसी अपराध के कारण मताधिकार से वंचित कर दिया गया हो उसका नाम मतदाता सूची मे होना चाहिएं
4. सदस्यों की योग्याताएँ– विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति कों निम्नलिखित योग्यताएँ प्राप्त होती चाहिए–

1 भारत का नगरिक हो 2 उसकी आयु कम– से – 25 वर्ष हो 3 भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किये हुए न हो 4 वह पागल या दिवालिया घोषित किया जा चुका हो 5 वह संसद या राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्धारित शर्तो की पूर्ति करता हो।

सदस्यों की सदस्यता का अन्त – विधानमण्डल के दोनों सदनों की सदस्यता का अन्त निम्नांकित मे से किसी परिस्थिति मे हो जाता है।

1. कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमण्डलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है उसे सदन से त्यागपत्र देना होगा। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमण्डल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है ।
2. कोई भी सदस्य यदि विधानमण्डल के सम्बधित सदन की बैठक मे सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है।
3. यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है या उसमें कोई निर्धारित आयोग्य पैदा हो जाती है तो वह सदन का सदस्य नहीं रहता है उदाहरण के लिए सरकारी नौकरी कर लेने दिवालिया या पागल हो जाने पर वह सदन का सदस्य नहीं रह जाता है 52 वे संवैधातिक संशोधन (1985) के अनुसार निम्नांकित परिस्थितियों मे भी उसी सदस्यता समाप्त हो जाएगी –' 1 यदि सदस्य अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के विना सदन में उसके निर्देश मे प्रतिकूल मतदान करे या मतदान मे अनुपस्थित हो 2 यदि निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए 3 यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी रानीतिक दल मे सम्मिलित हो जाए।

कार्यकाल– राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है परन्तु यदि संकट कल की घोषणा जो एक बार मे एक वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी स्थिति मे संकटकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा।

7 पादाधिकारी – प्रत्येक राज्य की विधानसभा के दो मुख्य पदाधिकारी होते है – 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों मे से ही करते है तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है इन दोनों (जिसके विरूद्ध प्रस्ताव हो) को देना आवश्यक है विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नयी विधानसभी की प्रथम बैठक न हो।

अध्यक्ष के अधिकारी तथा कार्य–विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्नांकित है –

1 वह विधानसभा के बैठको की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है 2 सदन शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है तथा उस हेत उसे समस्त आवश्यक कार्यवाही करने को अधिकार है 3 सदन का कोई भी सदस्य सदन मे उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता हे 4 वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो अशिष्ट है 5 सदन के नताक के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है.6 वह प्रश्न को स्वीकार करता या नियम–विरूद्ध होने पर उन्हे अस्वीकार करता है 7 वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

घोषणा करता है। 8 सामान्य स्थिति मे वह सदन मे मतदान मे भाग नहीं लेता लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष तथा विपक्ष के बराबर मत आयें तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। 9 कोई विधेयक (money Bill) है अथवा नहीं उसका निर्णय अध्यक्ष करता है। 10 विधानसभा और विधानसभा और विधानपरिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वही करता है। 11 सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष की सम्पर्क स्थापित करता है। 12 वह सदन के सदस्यों के अधिकारो की रक्षा करता है। 13 वह विधानमण्डल की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है 14 वह सदन की दर्शक दीर्घा मे दर्शक और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे इन सभी कार्यो का सम्पादन उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनो ही अनुपस्थित हो तो विधानसभा अपने सदस्यों मे से एक कार्यवाही अध्यक्ष चुन लेती है।

राज्य विधानसभा की शक्तियॉ और कार्य –

राज्य विधानमण्डल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमण्डल को व्यापक शक्तियॉ प्रदान की गयी है जो निम्नानुसार है–

1 विधायी शक्ति– राज्य के विधानमण्डल कोक सामान्यतया उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची मे और समवर्ती सूची मे दिये गये है

समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित कोई विधि यदि उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि के विरूद्ध हो तो राज्य विधनपमण्डल द्वारा निर्मित विधि मान्य नही होगी । राज्य विधानमण्डल की कानून निर्माण शक्ति पर निम्नलिखित प्रतिबंध भी है(1) अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि राज्य में सांवैधानिक तन्त्र भंग होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो संसद उस राज्य के संबंधी मे राज्यसूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है अथवा यदि अनुच्छेद 365 या 360 अन्तर्गत भारत मे संकटकाल लागू है तो कानून बना सकती है (2)राज्यसभा यदि राज्य सूची के किसी विषय के सम्बन्ध मे 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद को इस विषय पर कानून बनाना चाहिए तो संसद ऐसा कर सकती है ।(अनुच्छेद 249) (3) कुछ विधेयको को राज्य विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है जब तक राष्ट्रपति उन पर स्वीकृति न दे दे तक वे कानून का रूप नहीं लेंगे इनमे प्रमुखतया दो प्रकार के विधेयक आते है । प्रथम जिनका सम्बन्ध राज्य द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने से हो द्वितीय समवर्ती सूची के विषय पर बना हुआ ऐसा कानून जो उस विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरोध मे हो। (अनुच्छेद 254) (4) कुछ विधेयक राज्य विधानमण्डल मे प्रस्तावित किये जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है । ऐसे विधेयक वे है जिनका सम्बन्ध राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यो के बीच व्यापार वाणिज्य पर व आने–जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से होता है । (अनुच्छेद 304) (5) संघीय संसद अतर्राष्ट्रीय सन्धियों और समझौतों का पालन करने के लिए भी राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है ।

साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन मे प्रस्तावित किये जा सकते है किन्तु उसके सम्बन्ध मे अन्तिम शक्ति विधनसभा को ही प्राप्त है

(2) वित्तीय शक्ति – विधासभा को राज्य के वित्त पर नियंत्रण प्राप्त होता है, आय व्यय का वार्षिक लेखा बजट विधनसभा के स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय–व्यय से सम्बधित कोई कार्य किया जा सकता है।

(3) प्रशासनिक शक्ति– संविधान द्वारा राज्य के क्षेत्र मे भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किये जाने के कारण राज्य मंत्रिमण्डल अपनी नीति और कार्यो के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है विधानसभा या विधनपरिषद के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, April 2026 Impact Factor: 8.2

से उनके विभागों के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछे जा सकते है मंत्रिमण्डल के विरूद्ध निन्दा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है जिसके कारण मंत्रिमण्डल को पद त्याग करना होता है ।

(4) संविधान के संशोधन की शक्ति – हमारे संविधान की कुछ धाराएँ ऐसी है जिनमे संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकार किया जाये। इस प्रकार विधानमण्डल संविधान संशोधत के कार्य में भी भाग लेती है।

(5) निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति – राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने है।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

- डॉ. एस़. अखिलेश, रीवा दर्शन, गायत्री पब्लिकेशन रीवा 2004
- राजकिशोर – पत्रकारिता के नये परिप्रेक्ष्य, वाणी प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली, 2007
- सिंह निशांत – पत्रकारिता लेखन कला, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2008
- गप्ता डॉ. यू.सी. – इलेक्ट्रानिक्स मीडिया एवं सूचना प्रोद्योगिकी अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 2004
- वधवा, डॉ.एसः भारतीय राजनीति और प्रशासन, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 1989।
- डॉ. उपाध्याय, अनिल कुमार – पत्रकारिता और जनसंचार, सिद्धांत एवं विकास, भारती प्रकाशन, 2008
- डॉ. पाण्डेय, रवि प्रकाश, वैश्वीकरण एवं समाज, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, 2005
- शर्मा, कुमद, भूमण्डलीयकरण और मीडिया, ग्रन्थ अकादमी, नई दिल्ली, 2003
- डॉ. तिवारी, अर्जुन – आधुनिक पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन वारायणसी, 2004
- प्रो. हरिमोहन – सूचना प्रौद्योगिकी और जन माध्यम, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002